OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYAN
PANCHKULA

Order No. 3/106-2017 HRM-1(3) Dated, Panchkula, the 04.08.2017

Smt. Asha Rani [031649], Math Mistress, GGSSS Thanesar (2413) Distt. (Kurukshetra) is hereby granted the leave on following conditions:-

Sr. No.	Name of Leave	From	Rule applicable
	Child Care Leave	02.08.2017 to 19.12.2017	C.S. Instruction No. 11/102/2009 -3FR dated 1.02.2016/05.07.2012/05.11.2012.

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

VIRENDER KUMAR DAHIYA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/O DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even: Dated, Panchkula, the 4-8-17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-
Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Kurukshetra w.e.f. his Memo No. E-3/2017/738 dated 27.07.2017.
3. Principal/Headmaster, GGSSS Thanesar (2413) Distt. (Kurukshetra).
4. Smt. Asha Rani [031649], Math Mistress, GGSSS Thanesar (2413) Distt. (Kurukshetra)
5. Technology Officer (I.T Cell)

Ashok Kumar
SUPERINTENDENT HRM-1
for/ FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimar@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 14/10-2016 HRM-I (4) दिनांक पंचकूला : 31-07-17

1 **इसके द्वारा श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात)** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 2016, के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2 **इसके द्वारा श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात)** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **15 दिन** की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहती है।

3 **इसके द्वारा श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात)** को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलखो को देखना चाहती है तो उन्हे निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पचंकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हे केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत है, यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हे वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक** से किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहती है जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी **श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नही होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हे कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिऐं।

5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

निदेशालय हरियाणा
क्रमांक
दिनांक

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा में

श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक,
रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात)

पृष्ठांकन कमांक : सम दिनांक पंचकूला : 8-08-17

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भजी जाती है :–

1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, मेवात।
2 प्रधानाचार्य/ मुख्याध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली (मेवात)।
3 आई0टी0 सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0–I
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

Off.: Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula Tel: 91(0172)-2560246 Fax:)- 91(0172)2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर–5 पंचकूला (हरियाणा) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
e-mail: eduprimar@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आरोप सूची विरूद्व– श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात) ।

....

श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात) ने जो अनियमिता की है उनके लिए उन्हें निम्नप्रकार से आरोपित किया जाता है:–

1 यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी मेवात के यादी क्रमांक G/15/1010-14 दिनांक 16.12.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल द्वारा दिनांक 11.12.15 को समय दोपहर–2 बजे रा0उ0वि0 गंगौली का आकस्मिक निरीक्षण दौरान विद्यालय बन्द मिला। जबकि आपने उस विद्यालय के इन्चार्ज होने के नाते अपनी डयूटी के प्रति घोर लापरवाही की है।

2 यह है कि रा0उ0वि0 गंगौली (मेवात) के दिनांक 11.12.15 समय दोपहर 2 बजे विद्यालय बन्द होने उपरान्त अन्य स्टाफ भी अपनी डयूटी से अनुपस्थित पाए गए।

ऐसा करके आपने हरियाणा कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 2016 के नियम 4 (I) (II)(III)(IV) व नियम 5 (I) (II) (VI) की उल्घना की है।

उपरोक्त अनियमितता करके आपने स्वंय को कड़ी अनुशासनिक कारवाई का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

निदेशालय क्रमांक
दिनांक
हरियाणा, पंचकूला

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
e-mail: eduprimar@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

अभियोग सूची विरूद्ध– श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात) ।

....

श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह (मेवात) ने जो अनियमिता की है उनके लिए उन्हें निम्नप्रकार से आरोपित किया जाता है:–

1 यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी मेवात के यादी क्रमांक G/15/1010-14 दिनांक 16.12.15 के द्वारा अवगत करवाया गया कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल द्वारा दिनांक 11.12.15 को समय दोपहर–2 बजे रा0उ0वि0 गंगौली का आकस्मिक निरीक्षण दौरान विद्यालय बन्द मिला। जबकि आपने उस विद्यालय के इन्चार्ज होने के नाते अपनी डयूटी के प्रति घोर लापरवाही की है।

2 यह है कि रा0उ0वि0 गंगौली (मेवात) के दिनांक 11.12.15 समय दोपहर 2 बजे विद्यालय बन्द होने उपरान्त अन्य स्टाफ भी अपनी डयूटी से अनुपस्थित पाए गए।

ऐसा करके आपने हरियाणा कर्मचारी आचरण संवा नियमावली 2016 के नियम 4 (I) (II)(III)(IV) व नियम 5 (I) (II) (VI) की उल्घना की है।

उपरोक्त अनियमितता करके आपने स्वंय को कड़ी अनुशासनिक कारवाई का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

निदेशालय ... हरियाणा, पंचकूला
क्रमांक
दिनांक

Off.: Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula Tel: 91(0172)-2560246 Fax:)- 91(0172)2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर–5 पंचकूला (हरियाणा) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimar@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

रिकार्ड की सूची विरूद्व– श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह ।

....

1. विद्यालय का अध्यापक उपस्थित रजिस्टर जोकि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल दिनांक 11.12.2015 को seen किया गया की प्रति।
2. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की दिनांक 18.01.2016 नोटिंग की प्रति।

* * * * * * *

गवाह की सूची विरूद्व– श्री मौ. इदरीश, एस0एस0 अध्यापक, रा0उ0वि0 गांगोली, नूंह ।

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी पलवल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी नूंह।
3. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूंह से सम्बन्धित डीलिंग।

निदेशालय हरियाणा
क्रमांक
दिनांक

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

Off.: Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula Tel: 91(0172)-2560246 Fax:)- 91(0172)2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर–5 पंचकूला (हरियाणा) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253